प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02420/2025-2026 दिनांक 25/02/2026

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/KOS/20574/2025-2026 पत्रावली संख्या:AL-12616 दिनांक:2000-2001

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री भानु सिंह सेवा संस्थान, ग्राम घोसिया, पो० सराय अकिल, कौशाम्बी, 212216** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1014/2000-01 दिनांक-23/02/2001 को दिनांक-23/02/2026 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(Manoj Kumar)
D43F1F16C6EB0C5885304402DEF6A565BF5AB05D
Date: 25/02/2026 6:39:01 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-25/02/2026

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

D.P. Memorial Public School ★ Sarai Akil Kaushambi ★ Manager

D.P. Memorial Public School ★ Sarai Akil Kaushambi ★ Principal

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

श्री भानु सिंह सेवा संस्थान

ग्रा 0 घोसिया पो0 सराय अकिल कौशाम्बी

के प्रबन्धकारिणी समिति की

सूची वर्ष 2025–26

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री करुण कुमार सिंह	श्री दुर्गा सिंह	कुंवरपुर मलवा फतेहपुर	संरक्षक	इंजीनियर
2.	प्रियंका	श्री राम चन्द्र सिंह	खरसेन का पूरा सराय अकिल कौशाम्बी।	अध्यक्ष	समाज सेविका
3.	डॉ0 भीष्म सिंह	श्री दुर्गा सिंह	सराय अकिल कौशाम्बी	प्रबन्धक	चिकित्सा व्यवसाय
4.	श्रीमती कुसुम सिंह	श्री भानु सिंह	ग्रा0 घोसिया पो0 सराय अकिल कौशाम्बी	सचिव	गृहकार्य/समाज सेवा
5.	श्री सुशान्त सिंह	श्री हरिहर नाथ	घोसिया सराय अकिल कौशाम्बी	उपाध्यक्ष	समाज सेवा
6.	श्रीमती उषा सिंह	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	122/11 सी जेएलएन रोड प्रयागराज	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य/समाज सेवा
7.	श्री प्रेम शंकर सिंह	श्री राम सेवक सिंह	खरसेन का पुरा सराय अकिल कौशाम्बी	लेखा परीक्षक	बीमा एजेण्ट
8.	श्री उमेश सिंह	श्री राम सजीवन सिंह	धर्मपुर सराय अकिल कौशाम्बी	सदस्य	व्यवसाय
9.	श्री कल्याण सिंह	श्री सजन सिंह	ग्रा0 बकोढा कनैली सराय अकिल कौशाम्बी	सदस्य	व्यवसाय
10.	श्री अजीत सिह	श्री भीष्म सिह	करन चौराहा सराय अकिल कौशाम्बी	सदस्य	समाज सेवा
11	श्री राम चन्द्र सिंह	श्री राम औतार सिंह	खरसेन का पूरा सराय अकिल कौशाम्बी	सदस्य	कृषि

Bhishm Singh

Bhishm Singh

कुसुम सिंह

प्रेम शंकर सिंह

Ajit Singh

यह प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है
सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज मण्डल प्रयागराज
17/03/26

:: संशोधित स्मृति पत्र ::

1. संस्था का नाम : श्री भानु सिंह सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्रा0 घोसिया पो0 सरायं अंकिल जनपद– कौशाम्बी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं, प्रौढ़ो, पिछड़े वर्गो, दलित एवं शोषितो के विकास के लिए गवेषणात्तक, वैज्ञानिक, कृषि औद्योगिक तकनीकी सांस्कृतिक रचनात्मक एवं उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा उसके लिये विद्यालय छात्रावास केन्द्र खोलना तथा चलाना।
2. समिति की सहायता से अनय शिक्षा संस्थायें खोलना एवं उनका संचालन करना।
3. बालकों के अन्दर बड़ो के प्रति आदर की भावना जागृत करना।
4. बालकों का नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सास्कृतिक विकास करना तथा उन्हे राष्ट्रका सुयोग्य नागरिक बनाना।
5. सरकारी अर्द्धसरकारी तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानों से जानकारी प्राप्त करना।
6. उन समस्त उद्देश्यो की पूर्ति करना जो सो0 रजि0 एक्ट 21–1860 की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य है।
7. समिति की सहायता से चैरिटेबुल हास्पिटल खोलकर विशेषज्ञ डाक्टरों की सहायता लेकर गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना। एवं जच्चा बच्चा केन्द्र खोलकर मृत एवं स्वस्थ प्रसब की व्यवस्था करना।
8. टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोलियो, एड्स जैसी बीमारियो की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराना । समिति की सहायता से हास्पिटल में कैम्प लगाकर निःशुल्क आपरेशन एवं चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ शिक्षा उपलब्ध कराना।
9. रोजगार परक, तकनीकी शिक्षा हेतु स्कूल खोलकर शिक्षा का पठन–पाठन का प्रबन्ध करना।
10. माध्य निषेद, नशबन्दीकरण एवं बाल विकास हेतु समिति की सहायता से प्रबन्ध करना।
11. अल्पसख्यकों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए विशेष तौर पर शिक्षा कल्याण एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे स्वावलम्बी बनाना।
12. पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को लगाना, बागवानी करना मुधपालन मत्स्यपालन, पशुपालन, फल संरक्षण से सम्बन्धित लोगों को जानकारी देना एवं उनका प्रशिक्षण देना।
13. महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रो, सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, हरतशिल्प ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को खोलना तथा संचालित करना।

प्रबन्धक
श्री भानु सिंह सेवा संस्थान
ग्राम घोसिया, सरांय अकिल–कौशाम्बी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
इलाहाबाद

14. संस्था के माध्यम से कृषकों को कृषि से सम्बन्धित जानकारी एवं समस्याओं का निवारण करना उन्नतबीज उपदान एवं नर्सरी पौधो को लगाने की व्यवस्था औषधि पौधों का विकास करने हेतु केन्द्रीय योजना का पूरण करना।
15. महिलाओं एवं पुरूषों के लिए कुटीर उद्योग, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना दियासलाई बनाना, मंजन बनाना एवं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना जिससे वे स्वरोजगार परक बन सकें और अपनी जिविकोपार्जन कर सकें ।
16. व्यवसायिक सोसाइटियो एवं संस्थाओं और पर्यावरण से सम्बन्धित संस्थान सामग्री के प्रकाशन गोष्ठीयो कार्यशालाओ के लिए अनुदान राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना।
17. व्यवसायिक सोसाइटियों एवं संस्थानों और पर्यावरण से सम्बन्धित संस्थान सामग्री के प्रकाशन गोष्ठीयो कार्यशालाओं के लिए अनुदान राष्ट्रीय पर्यावरण, जागरूकता अभियान।
18. परिवारकल्याण योजनाओं (MNGO) एवं (SNGO) sterilisation आदि में कार्य करना।
19. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं कोक सुदृढ़ बनाने की योजना करना।
20. कुष्ठ रोग सर्वेक्षण शिक्षा उपचार निःशुल्क मोतिया बिन्द आपरेशन, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, पोलियो, राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के कार्यक्रम आदि का संचालन करना।
21. मूक बधिर, एवं अपंग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एवं पुर्नवास की व्यवसथा हेतु कार्य करना।
22. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम परम्परागत कुटिर उद्योगों के पुनुरूद्धार के लिए धनराशि सम्बन्धित योजना ग्राम उद्योग समूह को बढ़ावा देने के कार्यक्रम ग्रामीण उद्योग सेवा कार्यक्रम का संचालन करना।
23. टेकनिकल स्कूल, ~~पैरामेडिकल फार्मेसी एवं बीएड कालेज~~/खोलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक, गरीब बच्चो के पठन–पाठन की निःशुल्क व्यवस्था करना।
24. शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा परिवतर्तित(innovative) शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन की परियोजनाअें के लिए अनुदान प्राप्त करना।
25. सौन ऊर्जा कार्यक्रम ग्राम ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धित परीक्षण योजना में बायोगेस विकास कार्यक्रम नवीन प्रौद्योगिक समूह के कार्यक्रम योजनाओं को संचालित करना।
26. ग्रामीण उद्यामता विकास कार्यक्रम को बढावा देना।
27. पंचकर्म क्षारसूत्र, योग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना वित्तीय सहायता द्वारा योग्य अध्यापक एवं डाक्टरो की व्यवस्था करना।
28. समाज के सामजस्य, सौहार्द, प्रेम बनाये रखने का प्रयत्न करना।

प्रबन्धक
श्री भानु सिंह सेवा संस्थान
ग्राम घोसिया, सरांय अकिल–कौशाम्बी

सत्य प्रतिलिपि

29. समाज के कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, विकलांग, महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, बाल, वृद्ध के कल्याण के लिए कार्यक्रम संचालित करना।
30. जाति, लिंग, संप्रदाय, राजनीति से भिन्न समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करना।
31. संस्थान द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामीणों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना, केन्द्र खोलना व उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करना व प्रशिक्षण देना।
32. संस्थान द्वारा बेरोजगारों, गरीब किसानो एवं लडके व लडकियों को व्यवसायिक शिक्षा देकर उनको व्यवसाय की स्थापना में सहयोग देना।
33. संस्थान द्वारा ग्रामीण किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि करने के लिए जागरूक करना व उनके आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास कर जीवन स्तर में सुधार करना व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का प्रचार–प्रसार करना तथा सब्जी/फलोत्पादक निःशुल्क प्रशिक्षण, कार्य करना तथा प्रशिक्षण देना।
34. ग्राम समाज ,निगमों ,स्वायत्तशासी, संस्थाओं–बैंकों, ~~सहकारी समितियों~~, सरकारी विभागों, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन से भूमि भवन, दान ,चंदा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्थान के उददेश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
35. महिला–पुरूष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण उन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, सतीप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना, शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना।
36. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु चेरिटेबिल अस्पताल व शिविर का आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच तथा उपचार करने का प्रयास करना।
37. आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यकम आज के आधुनिकतम विषय कम्प्यूटर और साप्टवेयर टेकनोलाजी, डिजाइन, पत्रकारिता, खेल कूद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संचालन।
38. डेकेयर तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना , समाज के निराश्रित वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषयता निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए 'डे केयर सेण्टर', कल्याण केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भूले भटके शिविरों का आयोजन, संचालन व प्रचार प्रसार करना।
39. योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं मनोविज्ञान के प्रति जन साधारण को जागरूक करना, उनकी उपयोग करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम करना जिससे निरोग समाज का निर्माण हो सके। इसका बालक से वृद्धो तक में उपयोग करने हेतु जागरूकता लाना।
40. अन्य वे सभी सोसाइटीज एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।

प्रबन्धक
श्री भानु सिंह सेवा संस्थान
ग्राम घोसिया, सरांय अकिल–कौशाम्बी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

नियमावली

1.	संस्था का नाम	: **श्री भानु सिंह सेवा संस्थान**
2.	संस्था का पता	: ग्राम - घोसिया, पोस्ट - सरांय अकिल जनपद - कौशाम्बी
3.	संस्था का कार्य क्षेत्र	: ग्राम -घोसिया, कस्बा - सरांय अकिल,

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1. **आजीवन सदस्य -** जो व्यक्ति संस्था को रूपये 501/- की एक मुश्त नगद या इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से प्रदान करेगा, वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

2. **विशिष्ट सदस्य-** जो व्यक्ति संस्था के हित में निःस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करेंगें वह संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेंगे।

3. **साधारण सदस्य-** जो व्यक्ति संस्था को 21/- रूपये वार्षिक चन्दा प्रदान करेंगे, वह संस्था के साधारण सदस्य होंगे।

4. **सदस्यता की समाप्ति -** निम्न परिस्थितियों की दशा में किसी भी वर्ग की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
5. संस्था द्वारा अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।
6. साधारण सदस्यता की स्थिति में सदस्यता शुल्क न देने पर।
7. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

संस्था के अंग- (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

कुसुमसिंह

Bhushan Singh

साधारण सभा -

1. **गठन-** : सभी प्रकार के सदस्यों मिलकर साधारण सभा का गठन माना जायेगा।

2. **बैठक -** : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष बैठक कभी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

3. **सूचना अवधि-** : साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी जायेगी।

4. **गणपूर्ति-** : साधारण सभा की गणपूर्ति के लिये 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5. **वार्षिक अधिवेशन की तिथि -**

: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति -**

1. **गठन -** : प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन साधारण सभा के सदस्यों में से उन्ही द्वारा लिया जायेगा। जिसमें निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे - संरक्षक -एक, अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष - एक, प्रबन्धक - एक, सचिव- एक, लेखापरीक्षक-1 कोषाध्यक्ष - एक तथा अन्य 4 सदस्य जिनको मिलाकर कुल 11 सदस्य होंगे।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार होगी [illegible] तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है।

Bhushan Singh

कुसुम सिंह

प्रबन्धक

श्री [illegible]

ग्राम घोसिया, [illegible]

3. **सूचना अवधि** - प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दी जायेगी।

4. **गणपूर्ति** - : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5. **रिक्त स्थानों की पूर्ति** -

: प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत स्थान रिक्त होने पर उनकी पूर्ति गणपूर्ति की संख्या को ध्यान में रखते हुये बहुमत के आधार पर शेष अवधि के लिये की जायेगी।

6. **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य** -

1. संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था के वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
5. आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को पुरस्कृत तथा दण्डित करना।
6. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
7. वार्षिक बजट के लेखे का परीक्षण करना।

7. **कार्यकाल** - : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ~~चुनाव तिथि से लेकर~~ पांच साल के लिये होगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य** -

1. **संरक्षक** : संस्था की सुरक्षा व्यवस्था करना।

2. **अध्यक्ष** 1. समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. पूर्व [illegible] नियम के अनुसार बैठक के लिए [illegible] का अनुमोदन करना तथा उस [illegible] और बैठक [illegible] करना।

Bhushan Singh कुसुम सिंह

[illegible]
ग्राम घोसिया, [illegible]

3. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक 500.00 रुपये तक की धनराशि व्यय करने का अनुज्ञा सचिव/प्रबन्धक से प्रदान करवाना।

4. विवाद ग्रस्त मामलों में अपना एक निजी निर्णायक मत देना।

2. उपाध्यक्ष- 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके अपने कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो जाने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

2. ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसे लिखित रूप में एक निर्धारित समय के लिये प्रतिनिहित किये गये हों।

3. प्रबन्धक- 1. संस्था के लिये समस्त अनुदान, दान, तथा चन्दे प्राप्त करना और उसके लिये यथाविधि रसीद देना।

2. संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा नियोजन का प्रबन्ध करना।

3. नियमों तथा स्वीकृति की शर्तों के अधीन रहते हुये बजट में की गयी व्यवस्था के भीतर संस्था के वित्त का प्रशासन तथा नियंत्रण करना।

4. संस्था के समस्त लेखों को व चेक के लेखों को संचालित करना और उनकी परीक्षा का प्रबन्ध करना।

5. संस्था के कर्मचारियों को वेतन, वृद्धि तथा अन्य देय धनराशि का भुगतान करना।

6. संस्था से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों तथा [illegible] सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तांतरण और संविदा के समस्त अभिलेखों एवं अन्य लेखों पर हस्ताक्षर [illegible] [illegible] प्रस्ताव तैयार करना, और [illegible] [illegible] के लिये अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

Bhishm Singh कुसुम सिंह

8. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

9. संस्था से सम्बन्धित मामलों से संस्था का प्रतिनिधित्व करना अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक बुलाना तथा संस्था के प्रबन्ध एवं प्रशासन से सम्बद्ध पत्र व्यवहार रजिस्टरों तथा पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना एवं समिति की बैठकों का कार्यक्रम लिखना संस्था के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना। समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक रुपये 500.00 तक की धनराशि अध्यक्ष की लिखित अनुमति से व्यय करना।

10. यदि समिति ने तदर्थ अधिकार दिया हो तो अध्यक्ष की सहमति से किसी कर्मचारी को समिति का अन्तिम आदेश होने तक के लिये निलम्बित करना तथा की गयी कार्यवाही की सूचना समिति को देना।

11. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

4. **सचिव -** : सचिव को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता देना और उसकी ओर से उन मामलों में कार्य करना जो सचिव द्वारा निहित रूप में विशिष्टतया किये गये हो (प्रतिनियुक्ति)

5. **कोषाध्यक्ष-** 1. संस्था की समस्त निधियों तथा धनराशियों का लेखा तैयार करना।

2. प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के लिये सभी [illegible] रजिस्टर प्रमाणक तथा स्लिप [illegible] पत्र जो [illegible] के लिये आवश्यक होंगे प्रस्तुत [illegible]

लेखा परीक्षक- : वर्ष में [illegible] बार संस्था का आडिट करना।

आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ उसे सचिव को प्रस्तुत करना।

10. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया-**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा।

संस्था का कोष - संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा निकालने के लिये सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से आहरण किया जायेगा।

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण -

संस्था का कोष समस्त अभिलेखों को समय-समय पर जांच करना तथा पायी गयी कमियों को विद्यालय के प्रबन्धक को अवगत कराना

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व -

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सचिव/प्रबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

संस्था के अभिलेख -
1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. सूचना रजिस्टर
4. स्टाक रजिस्टर
5. केशबुक आदि।

संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि० अधिनियम - 21 - 1860 की धारा - 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि कुसुम सिंह

Bhushan Singh

ग्राम घोसिया, ...